

इसे वेबसाईट [www.govtpressmp.nic.in](http://www.govtpressmp.nic.in)  
से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



# मध्यप्रदेश राजपत्र

## प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 41 ]

भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 14 अक्टूबर 2022—आश्विन 22, शक 1944

## भाग ४

### विषय-सूची

- |                            |                               |                                  |
|----------------------------|-------------------------------|----------------------------------|
| (क) (1) मध्यप्रदेश विधेयक, | (2) प्रवर समिति के प्रतिवेदन, | (3) संसद में पुरःस्थापित विधेयक. |
| (ख) (1) अध्यादेश,          | (2) मध्यप्रदेश अधिनियम,       | (3) संसद् के अधिनियम.            |
| (ग) (1) प्रारूप नियम,      | (2) अन्तिम नियम.              |                                  |

भाग ४ (क)—कुछ नहीं

भाग ४ (ख)—कुछ नहीं

भाग ४ (ग)

अंतिम नियम

वन विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 11 अक्टूबर 2022

क्र. एफ-14-82-1988-दस-2.—मध्यप्रदेश राजपत्र क्रमांक 35, भाग-4 (ग), प्रकाशन दिनांक 2 सितम्बर 2022 में प्रकाशित मध्यप्रदेश वन्यप्राणी (संरक्षण) नियम, 1974 के नियम 34 में गोल्डन टाइगर पास जारी करने संबंधी उपनियम 4(क)(ii) को निम्नानुसार प्रतिस्थापित किया जाता है:—

नियम 4(क)(ii)-प्रत्येक पर्यटन वर्ष में 36 गोल्डन टाइगर पास जारी किये जायेंगे.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
अतुल कुमार मिश्रा, सचिव.

भोपाल, दिनांक 11 अक्टूबर 2022

क्र. एफ-14-82-1988-दस-2.— भारत के संविधान के अनुच्छेद 340 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-14-82-1988-दस-2, दिनांक 11 अक्टूबर 2022 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
अतुल कुमार मिश्रा, सचिव.

Bhopal, the 11th October 2022

F. No. F-14-82-1988-X-2.— In Rule 34 of the Madhya Pradesh Wildlife (Protection) Rules, 1974 published in the Madhya Pradesh Gazette No. 35, Part -4 (C), publication dated 2nd September, 2022 sub-rule 4 (A) (ii) regarding the issuance of Golden Tiger Pass is substituted as follow:—

Rule 4 (A) (ii)-In every tourism year 36 Golden Tiger Pass will be issued.

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,  
ATUL KUMAR MISHRA, Secy.